दिनांक 08 फरवरी, 2018 को प्रमुख सचिव/मिषन निदेषक, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई, ग्राम्य विकास विभाग की कार्यकारी निकाय की बैठक का कार्यवृत्त :–

दिनांक 08 फरवरी, 2018 को प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई, ग्राम्य विकास की कार्यकारी समिति की बैठक संपन्न की गई। बैठक उपस्थित संलग्नक हैं:–

सर्वप्रथम अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का स्वागत किया गया। तदोपरांत गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी। जिसमें निम्न बिंदुओं पर पुनः के संबंध में पुनः निर्देश दिये गये।

बिन्दु संख्या	कार्यवाही हेतु बिन्दु	परिपालन आख्या
4	एस0पी0एम0यू0/यू0एस0आर0एल0एम0 के आय–व्यय पर चर्चा एवं अनुमोदन।	एस0पी0एम0यू0, ग्राम्य विकास के आय–व्यय पर चर्चा एवं अनुमोदन जिसमें पी0एम0यू0 में कार्यरत स्टाफ के लिए 25 लाख की धनराशि का प्राविधान अनुमोदित था जिसके सापेक्ष अभी तक धनराशि आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड पौड़ी से अप्राप्त है
10	यू0एस0आर0एल0एम0 के मानव संसाधन मैन्युवल पर अनुमोदन।	कार्यकारी समिति की बैठक में मानव संसाधन मैन्युवल एच0आर0 स्वीकृत किया गया। जिसे इस वर्ष से लागू किया जाएगा।
15	एस0पी0एम0यू0 के अधीन विपणन प्रबन्धन प्रकोष्ठ गठन तथा कियान्वयन हेतु टी0एस0ए0 लिये जाने पर अनुमोदन।	राज्य में विपणन प्रबन्धक व्यवस्था को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु संस्थाओं के चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। जिससे शीघ्र ही तकनीकि संस्था का चयन कर लिया जाएगा।

उपरोक्त **बिंदु संख्या 04 पर अध्यक्ष** द्वारा उक्त धनराशि जिस स्तर पर रोकी गयी है का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये साथ ही उक्त धनराशि को एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित को अवमुक्त करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– आयुक्त, ग्राम्य विकास)

उपरोक्त बिंदु संख्या 10 यू0एस0आर0एल0एम0 के मानव संसाधन मैन्युवल पर अनुमोदन के संदर्भ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मैन्युवल में आंशिक संशोधन किया जाना है। तदानुसार एचआर मैनुअल को अंगीकृत किया जाएगा। जिस पर समिति द्वारा सहमति दी गई। **(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी,यूएसआरएलएम)**

उपरोक्त बिंदु संख्या 15– राज्य में विपणन व्यवस्था को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु संस्थाओं के चयन हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी है। जिस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि टी.ओ.आर. स्पष्ट न होने के कारण इसको पुनः जारी करना उचित होगा जिस पर कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण करे यदि प्रस्ताव उचित नहीं है तो पुनः विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए गये। **(कार्यवाही– एसपीएम–विपणन, यूएसआरएलएम)**

एजेण्डा संख्याः–02ः–डे–एनआरएलएम वर्ष 2017–18 की माह नवम्बर 2017 तक की वित्तीय एवं भौतिक समीक्षा।

डे0–एन0आर0एल0एम0 की वर्ष 2017–18 की माह दिसम्बर तक की वित्तीय एवं भौतिक समीक्षा में प्रगति अपेक्षानुरुप न होने के कारण लक्ष्यों की पूर्ति माह मार्च 2018 तक विशेष अभियान चलाकर पूर्ण करने के निर्देश अध्यक्ष महोदया द्वारा दिए गए।

बिन्दु संख्याः–03ः–डे–एनआरएलएम की वर्ष 2018–19 एवं वर्ष 2019–20 तक समस्त विकासखण्डों को सघन विकास खण्ड रणनीति के अंतर्गत लिए जाने पर विचार विमर्ष।

1. डे–एन0आर0एल0एम0 की वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 की कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर अध्यक्ष महोदया द्वारा आंकड़ों को वास्तविक मिलान करते हुए पर कार्य योजना को संशोधित कर पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त करते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत करें।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा आजीविका संवर्धन हेतु पूर्व में चयनित संसाधन विकासखण्ड – सहसपुर, जसपुर, कर्णप्रयाग, दुगडडा एवं कोटाबाग में 10000 परिवारों को महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP) से आच्छादित करने के लिए एवं स्टार्ट–अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP) की वित्तीय वर्ष 2018–19 की कार्ययोजना को समिति के समक्ष रखा। इस हेतु अध्यक्ष महोदया द्वारा विकासखण्डों के चयन हेतु अलग से पत्रावली प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त कर लें।
3. वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु डे–एनआरएलएम की कार्ययोजना में बॉर्डर जनपदों के नए विकासखण्डों (आईएलएसपी के विकासखण्ड सहित) हेतु पृथक से कार्ययोजना तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किए जाने के निर्देश अध्यक्ष महोदया द्वारा दिए गए।

एजेण्डा संख्याः–04ः–एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना से आच्छादित विकासखण्डों में डे–एन.आर.एल.एम. अंतर्गत एस.ई.सी.सी. के परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने के संबंध में।

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के द्वारा राज्य के 21 विकास खण्डों में कार्य किया जा रहा है। आई.एल.एस.पी. के द्वारा विकास खण्डों के कुछ गॉवों में ही उत्पादक समूह बनाये जाते हैं जिससे शेष ग्राम परियोजना से अछूते रह जाते है जिस हेतु अध्यक्ष महोदया द्वारा आईएलएसपी को निर्देश दिया कि SECC-2011 के अनुसार जनपदों में कम से कम एक सुविधा से वंचित परिवारों की स्थिति के संदर्भ में परियोजना निदेशक आई0एलएसपी0 से उक्त परिवारों को योजना से आच्छादित किये जाने की जानकारी चाही गयी साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि यदि नहीं हुए तो उन परिवारें की मैपिंग करवा लें। जिस हेतु एसईसीसी की सूची संबंधित डीआरडीए से प्राप्त कर लें। **(कार्यवाही– परियोजना निदेषक, आईएलएसपी)**

एजेण्डा संख्याः–05ः–यू.एस.आर.एल.एम. में एफ.एम.टी.एस.ए. (Financial Management technical Support Agency) की नियुक्ति उपरांत आगामी वर्ष 2018–19 के लिए नवीनीकरण विषयक।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यू0एस0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत एफ0एम0टी0एस0ए0 की सेवाओं की आगामी वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु सेवाओं के नवीनीकरण का प्रस्ताव कार्यकारी समिति के सम्मुख रखा गया। जिस पर कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा संख्या 06ः–यू.एस.आर.एल.एम. के राज्य मिषन प्रबंधक– वित्त एवं अधिप्राप्ति के पद के अनुरुप तथा लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी लिए जाने के संबंध में।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यू0एस0आर0एल0एम0 में राज्य मिशन प्रबन्धक(वित्त एवं प्रौ0) के पद पर शासनादेश संख्या 3610,दिनॉक 03–09–2013 में अंकित योग्यतानुसार के अनुरूप वित्त नियंत्रक/व. लेखाधिकारी लिये जाने का प्रस्ताव कार्यकारी समिति के सम्मुख रखा गया जिसे कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूएसआरएलएम)

एजेण्डा संख्याः–07ः–एस.ई.आर.पी., तेलंगाना से सीनियर सी.आर.पी. सेवाओं का अनुमोदन।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा SERP तेलंगाना के साथ वाह्य सी0आर0पी0 राउण्ड की सेवाओं हेतु माह मई 2017 में किये गये अनुबन्ध एवं कार्यो का अनुमोदन तथा एसईआरपी के उत्तम कार्यों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु भी इनकी सेवाएं लिए जाने के प्रस्ताव कार्यकारी समिति के सम्मुख रखा गया। जिस पर कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी,यूएसआरएलएम)

एजेण्डा संख्या 08ः–डे–एन.आर.एल.एम. अधिप्राप्ति नियमावली के तहत कय की गयी सामग्री एवं सेवाओं का अनुमोदन विषयक।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा डे0एन0आर0एल0एम0 अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत क्रय सामग्री एवं सेवाओं का अनुमोदन का प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति द्वारा अपर सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सत्यापित करने के लिए अधिकृत किया गया।

(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी,यूएसआरएलएम)

एजेण्डा संख्या 09ः–डे–एन.आर.एल.एम. के अंतर्गत वर्ष 2018–19 हेतु राज्य, जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर तैनात कार्मिकों की निरंतरता के संबंध में।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा डे0–एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 हेतु राज्य जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत कार्मिकों के पदों की निरंतरता का अनुमोदन के सम्बन्ध में कार्यकारी समिति को अवगत कराया गया जिसमें कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। साथ ही अध्यक्ष महोदया द्वारा यह भी

निर्देश दिये गये कि परियोजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का अनुबन्ध प्रत्येक वर्ष सेवा ब्रेक कर पुनः अनुबन्ध नवीनीकरण किये जाये।

(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी,यूएसआरएलएम)

एजेण्डा संख्या 10:–डे–एन.आर.एल.एम. से आच्छादित जनपदों में जिलाधिकारी को परियोजना समन्वयक बनाने के संबंध में।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा डे0–एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत आच्छादित जनपदों में जिलाधिकारी को परियोजना समन्वयक बनाने का प्रस्ताव कार्यकारी समिति के सम्मुख रखा गया। उक्त के संदर्भ में अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देश दिए गए कि जिलाधिकारी को परियोजना समन्वयक की जगह जनपद स्तर पर आई0एल0एस0पी0 के अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी के अध्यक्षता में गठित समिति के अनुसार ही जनपद स्तर पर एनआरएलएम के लिए अनुश्रवण/समीक्षा समिति गठित कर ली जाए।

(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी,यूएसआरएलएम)

एजेण्डा संख्या 11:–विकास खण्ड स्तर, जनपद स्तर एवं राज्य स्तर पर निर्मित सरस विपणन केंद्र/षिल्प इम्पोरियम के संचालन एवं आई.एल.एस.पी. के सहयोग से साज–सज्जा एवं मरम्मत कार्य के संबंध में।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विकास खण्ड स्तर, जनपद स्तर एवं राज्य स्तर पर निर्मित सरस विपणन केन्द्र/शिल्प इम्पोरियम के संचालन एवं आई0एल0एस0पी0 के सहयोग से साज–सज्जा एवं मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। जिस पर आई.एल.एस.पी. के प्रतिनिधि द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि उक्त विपणन केंद्र पर हमारे उत्पादक समूह के उत्पाद यदि इन केन्द्रो पर रखे जाएंगे तब आई.एल.एस.पी. द्वारा साज–सज्जा एवं मरम्मत हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जा सकती है। इस पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई। उक्त के साथ ही अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि आईएलएसपी के कार्य क्षेत्र से बाहर के विपणन केन्द्रों के संबंध में अन्य विभागों जैसे ग्राम्या, नाबार्ड आदि से समन्वय स्थापित करें एवं जो विभाग इच्छुक हों उनके साथ अनुबंध आधार पर उक्त केंद्रो का साज–सज्जा एवं मरम्मत कार्य कराते हुए केन्द्र का संचालन कराने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी,यू.एस.आर.एल.एम./परियोजना निदषक,आई.एल.एस.पी.)

एजेण्डा संख्या 12:–संविदा कर्मी एवं यंग प्रोफेषनल की सेवाएं लिए जाने पर अनुमोदन विषयक।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि यूएसआरएलएम, एसपीएमयू के अंतर्गत 07 यंग प्रोफेशनल की सेवाएं लिये जाने का अनुमोदन का प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा संख्या 13:–एस.पी.एम.यू. द्वारा एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत विषष परियोजनाओं की क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर उपलब्ध धनराषि को एन.आर.एल.एम. के कोष में लिए जाने पर अनुमोदन।

एस0पी0एम0यू0 द्वारा संचालित एस0जी0एस0वाई0 की विशेष परियोजनाओं की क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर अवशेष धनराशि को एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत व्यय किये जाने के प्रस्ताव को कार्यकारी समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया तथा अवगत कराया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार में एन0आर0एल0एम0 की अधिकार प्राप्त समिति के कार्यवृत्त के अनुसार उक्त धनराशि एस0आर0एल0एम0 के खाते में हस्तगत की जा चुकी है। उक्त प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्याः–14:–यूएसआरएलएम, एस.पी.एम.यू. के कार्यों हेतु आडिटर की नियुक्ति एवं आडिट रिपोर्ट के अनुमोदन विषयक।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि मिशन में चयनित आडिटर को तीन साल की सेवा के उपरांत पुनः आडिट कार्य हेतु सीए का चयन करने के लिए निविदा आमंत्रित करने हेतु सहमति प्रदान की गई। साथ ही अध्यक्ष महोदया द्वारा विगत वर्षों की आडिट में प्राप्त Findings को अलग से पत्रावली पर प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी,यू.एस.आर.एल.एम.)

एजेण्डा संख्या 15:–राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई, ग्राम्य विकास की आय–व्ययक पर अनुमोदनः–

अपर सचिव/परियोजना समन्वयक, ग्राम्य विकास महोदय द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि **राज्य** परियोजना प्रबन्धन इकाई, ग्राम्य विकास के प्रशासनिक कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 का आय–व्ययक रु0 100.00 लाख प्राविधान किया गया है। जिस पर प्रमुख सचिव/अध्यक्ष महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी तथा गत वर्ष 2017–18 के बजट में स्वीकृत रु0 25.00 लाख की धनराशि को एस0पी0एम0यू0., ग्राम्य विकास को तत्काल अवमुक्त किये जाने हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास निदेशालय, पौडी को निर्देशित गया गया है।

(कार्यवाही– आयुक्त, ग्राम्य विकास)

बिन्दु संख्या–16:–दीनदयाल उपाध्याय–ग्रामीण कौषल योजना में लिये गये टी0एस0ए0 तथा लक्ष्यों को जनपदवार पी0आई0ए0 को आवंटन पर अनुमोदनः–

अपर सचिव/परियोजना समन्वयक, ग्राम्य विकास महोदय द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि डी0डी0यू0जी0के0वाई0 के तहत टी0एस0ए0 के रूप में Pricewaterhouse&houseCoopers का चयन किया गया था। प्रस्तुतीकरण में जनपदवार लक्ष्यों का आवंटन का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि प्रत्येक जनपद के मुख्य विकास अधिकारी को उक्त सूचना पत्र के माध्यम से प्रेषित भी की जा चुकी है। उक्त प्रस्ताव पर प्रमुख सचिव/अध्यक्ष महोदया द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। निर्देश दिये गये कि योजना का समयबद्ध कियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही– मुख्य कियान्वयन अधिकारी, डीडीयू–जीकेवाई, एसपीएमयू)

बिन्दु संख्याः–17–ष्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिषन की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति पर अनुमोदनः–

अपर सचिव/परियोजना समन्वयक, ग्राम्य विकास महोदय द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के अन्तर्गत द्वितीय चरण में चयनित कलस्टर नौकुचियाताल कलस्टर शहरी क्षेत्र में आने के कारण जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड डुण्डा के जैविक ग्रामों के कलस्टरों का चयन करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया है इस सम्बन्ध में तत्काल जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को पत्र प्रेषित कर एक सप्ताह में सूचना प्राप्त करें।

(कार्यवाही– परियोजना प्रबंधन अधिकारी, एसपीएमयू)

बिन्दु संख्याः–18–सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम की कार्ययोजना पर चर्चा एवं अनुमोदनः–

अपर सचिव/परियोजना समन्वयक, ग्राम्य विकास महोदय द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि बी0ए0डी0पी0 के अन्तर्गत भौतिक एंव वित्तीय वर्ष का प्रस्तुतीकरण दिया गया। जिस पर प्रमुख सचिव/अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि तत्काल अवशेष धनराशि का उपयोग कर लें एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र गृह मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित करें।

(कार्यवाही– परियोजना प्रबंधन अधिकारी, एसपीएमयू)

एजेण्डा संख्या 19–परियोजना प्रबन्धन इकाई, ग्राम्य विकास में वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी को लिए जाने तथा इकाई के सुदृढीकरण पर अनुमोदन :–

अपर सचिव/परियोजना समन्वयक, ग्राम्य विकास महोदय द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि वर्तमान में एस0पी0एम0यू, ग्राम्य विकास में राज्य पोषित एवं

केन्द्रपोषित योजनायें संचालित की जा रही हैं चूंकि एस0पी0एम0यू0 ग्राम्य विकास के ढ़ाचे में वित्त नियत्रंक एवं लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी न होने के कारण वित्तीय कार्यो का सुचारू संपादन नही हो पा रहा है। जिस हेतु एस0पी0एम0यू0, ग्राम्य विकास का संशोधित संरचनात्मक ढांचा निम्नवत् प्रस्तावित किया गया है:-

क्र. सं.	वर्तमान प्रस्तावित पदनाम	पूर्व के पदनाम	पदों की संख्या	भर्ती का स्रोत	प्रस्तावित वेतनमान	शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव	टिप्पणी	कार्यविवरण
१	अधिशासी निदेशक	परियोजना समन्वयक	०१	अपर सचिव-पदेन				एसपीएमयू के अंतर्गत संचालित समस्त कार्यक्रमों का समन्वय, अनुश्रवण, मूल्यांकन
२	मुख्य कन्वर्जेन्स अधिकारी	ओ.एस.डी.	०१	प्रतिनियुक्ति	प्रादेशिक सेवा संवर्ग से पे बैंड ग्रेड पे बैड 7600 के आधार पर तथा ग्रामीण विकास विभाग में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव। अथवा रेखीय विभाग से 7600 ग्रेड पे तथा 15 वर्ष के अनुभव का अधिकारी।			ग्राम्य विकास की योजनाऐं एवं बी०ए०डी०पी० का क्रियान्वयन। Line Departments के साथ convergence का कार्य।
३	मुख्य क्रियान्वयन अधिकारी	परियोजना प्रबंधन अधिकारी- एन. आर.एम. के पदनाम को परिवर्तित करते हुए मुख्य क्रियान्वयन अधिकारी करना	०१	संविदा पर	वर्तमान में देय मानदेय (जो कि प्रत्येक वर्ष प्रफोर्मेस आधार पर बृद्धि) यात्रा/दैनिक भत्ता पे बैंड III ६६०० ग्रेड पे हेतु अनुमन्य भत्तों के अनुसार।	स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से पी.जी. डी.एन.आर.एम./पी. जी.डी.पी.टी में उपाधि। अनुभव-राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संचालन, प्रबंधन एवं परियोजना निर्माण में कम से कम 05 साल का अनुभव।		परियोजना निर्माण, समन्वय, नीति निर्माण, एवं क्रियान्वयन का कार्य
४	परियोजना प्रबंधन अधिकारी -विपणन	कोई परिवर्तन नहीं	०१	संविदा पर	वर्तमान में देय मानदेय (जो कि प्रत्येक वर्ष प्रफोर्मेस आधार पर बृद्धि) यात्रा/दैनिक भत्ता पे बैंड III ६६०० ग्रेड पे के आधार पर।	मान्यता प्राप्त संस्थान से एम.बी.ए.-आर. डी./ विपणन की उपाधि अनुभव- राज्य स्तर पर विकास कार्यक्रमों के संचालन, एवं विपणन में कम से कम ०२ साल का अनुभव।		विपणन से संबंधित परियोजना एवं नीति निर्माण, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मेला/ प्रदर्शिनियों हेतु आयोजन, समन्वय एवं क्रियान्वयन का कार्य
५	लेखाकार		०१	आउटसोर्सिंग/ प्रतिनियुक्ति पर	रु.२०००० ००(नियत)/ पे बैंड II के अंतर्गत ग्रेड पे ४२०० अनुमन्य हो।यात्रा/ दैनिक भत्ता वास्तविक व्यय के आधार पर	मान्यता प्राप्त संस्थान से बी. काम, दोहरी लेखा प्रणाली, टेली तथा जी.एस.टी का पूर्ण ज्ञान अनुभव- लेखाकार के पर पर कम से कम ०५ वर्ष का अनुभव।	इस पद की शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव कार्यकारी निकाय से पूर्व में ही अनुमोदित किया जा चुका है।	लेखा संबंधी समस्त कार्य
६	एम.आई.एस.		०१	संविदा पर	रु.३००००.	मान्यता प्राप्त संस्थान		वेबसाइट अपडेशन

					०(नियत) यात्रा/दैनिक भत्ता वास्तविक व्यय के आधार पर	से बीसीए/एमसीए की उपाधि		का कार्य, समस्त आंकडों के इंट्री एवं प्रबंधन का कार्य
७	आशुलिपिक/ व्यैक्तिक सहायक		०१	प्रतिनियुक्ति पर	पे बैंड II के अंतर्गत ग्रेड पे ४२०० अनुमन्य हो।	स्नातक उपाधि के साथ हिन्दी/अंग्रेजी में आशुलिपिक में डिप्लोमा धारक। अनुभव- वैयक्तिक सहायक में कम से १० वर्ष का अनुभव।		
८	डाटा इंट्री आपरेटर		२	आउटसोर्सिंग	वर्तमान में देय मानदेय	स्नातक उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्ष का कम्प्यूटर डिप्लोमा		
९	अनुसेवक		०४	आउटसोर्सिंग	वर्तमान में देय मानदेय	हाईस्कूल/भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेना द्वारा जारी समकक्ष योग्यता का प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो।		
योग			१३					
	पीएमयूम में नए पद का सृजन							
१०	वित्त नियंत्रक	नया पद	०१	प्रतिनियुक्ति	वित्त सेवा संवर्ग से पे बैंड III ६६०० ग्रेड पे		समस्त वित्तीय कार्य	
११	लेखाधिकारी/स. लेखाधिकारी	नया पद	०१	प्रतिनियुक्ति	वित्त सेवा संवर्ग से पे बैंड III ५४०० ग्रेड पे/४८०० ग्रेड पे		समस्त वित्तीय कार्य	
योग			०३					
कुल योग			१६					

अतः उक्तानुसार एस0पी0एम0यू0 की कार्यकारी समिति द्वारा उक्त संरचनात्मक ढांचे पर एस0पी0एम0यू., ग्राम्य विकास के कार्यो की in principal सहमति प्रदान की गयी है साथ ही अपर सचिव/परियोजना समन्वयक, ग्राम्य विकास को उक्त ढांचे का शासनादेश विधिवत निर्गत कराये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

(कार्यवाही– अपर सचिव/परियोजना समन्वयक, ग्राम्य विकास)

बिन्दु संख्या–20–राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई, ग्राम्य विकास के अन्तर्गत संचालित समस्त कार्यक्रम, योजनाओं एवं मिषन के प्रशासनिक मद में उपलब्ध धनराषि के उपयोग की वित्तीय अधिकार के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में।

अपर सचिव/परियोजना समन्वयक, ग्राम्य विकास महोदय द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि वर्तमान में राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई,ग्राम्य विकास के समस्त खातों का संचालन अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अपर सचिव/मुख्य

कार्यकारी/परियोजना समन्वयक द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जा रहा है। अपर सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि जब तक एस0पी0एम0यू., ग्राम्य विकास कार्यालय में वित नियत्रंक की नियुक्ति नही होती है तब तक उक्त समस्त खातों का संचालन अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अपर सचिव/परियोजना समन्वयक द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। एस0पी0एम0यू., ग्राम्य विकास कार्यालय में वित्त नियंत्रक की नियुक्ति होने के उपरान्त यू0एस0आर0एल0एम0 के खातों को छोड़कर अन्य समस्त खातों का संचालन अपर सचिव/परियोजना समन्वयक, ग्राम्य विकास एवं वित्त नियंत्रक के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। जिस पर समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही वित्तीय अधिकारियों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध मे राज्य में विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष के पास जो वित्तीय अधिकार है वही अधिकार अपर सचिव/परियोजना समन्वयक में निहित होगा, के संबंध में भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही– अपर सचिव/परियोजना समन्वयक, ग्राम्य विकास)

बिन्दु संख्या–21–राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई, ग्राम्य विकास के जी0बी0 एवं कार्यकारी निकाय (प्रबंधकारिणी समिति) के सदस्यों में परिवर्तन किए जाने के सम्बन्ध में।

अपर सचिव/परियोजना समन्वयक, ग्राम्य विकास महोदय द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि वर्तमान में राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई ग्राम्य विकास विभाग की आम सभा के अध्यक्ष मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार एवं उपाध्यक्ष मा. मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार हैं। उक्त के लिए अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देश दिए गए कि इस हेतु पत्रावली पर उच्चानुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

इसी के साथ ही कार्यकारी समिति में समस्त आयुक्त/निदेशक सदस्य हैं, उक्त के स्थान पर समिति में उल्लिखित विभागों के सचिव/अपर सचिव/निदेशकों को सदस्य बनाने के लिए निर्देश दिए गए तदानुसार प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही– अपर सचिव/परियोजना समन्वयक, ग्राम्य विकास)

बिंदु संख्या 23– राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई, ग्राम्य विकास के नवीनीकरण–

अपर सचिव/परियोजना समन्वयक, ग्राम्य विकास महोदय द्वारा एस0पी0एम0यू0 की कार्यकारी समिति को अवगत कराया गया है कि राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई, ग्राम्य विकास के पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना है उक्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही– अपर सचिव/परियोजना समन्वयक, ग्राम्य विकास)

एजेण्डा बिंदुः– अन्य विषय पर चर्चा

अध्यक्ष महोदया द्वारा समस्त विकासखण्डों में सामाजिक गतिशीलन करते हुए स्वयं सहायता समूह बनाए जाने के निर्देश देने के साथ–साथ कार्यकारी समिति द्वारा सीमा पर अवस्थित तथा नीति आयोग द्वारा राज्य में घोषित दो पिछड़े जिले के समस्त विकासखण्डों को डे.–एन.आर.एल.एम. से आच्छादित करने का समिति द्वारा निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त कार्यकारी समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि संविदा/नियत मानदेय/अनुबन्ध पर जिन कार्मिकों से सेवायें ली जा रही हैं उनका आगामी अनुबन्ध को कम से कम एक दिन का ब्रेकअप/सेवा व्यवधान कर आगामी अनुबन्ध किया जाय।

कार्यकारी समिति की बैठक के समापन पर बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव/अध्यक्ष, कार्यकारी निकाय
राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई,
ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड

दिनांक फरवरी 2018

पत्रांक / /एसपीएमयू/ग्रा.वि./ 2018

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त सम्मानित सदस्य, कार्यकारी निकाय, एसपीएमयू, ग्राम्य विकास।
4. गार्ड फाइल।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव/अध्यक्ष, कार्यकारी निका
राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई,
ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड